claims received from various States/ U.Ts.

(c) As the subject matter is a continuous process, time frame can not be specified.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिज

3048. **श्री राघवजी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के उन खनिजों के क्या-क्या नाम हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों ने इस संबंध में आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उपरोक्त खनिजो को कब तक आरक्षित रखे जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 (एम०एल म०आर०डी० एक्ट, 1957) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि केन्द्र सरकार किसी खनिज के आरक्षण की दृष्टि से और राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् अथवा इसके विलोमतः कोई भी ऐसा क्षेत्र, जोकि पहले से किसी भी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए खनन पट्टे अथवा सरकारी कम्पनी के जरिए खनन कार्य करने अथवा निगम के स्वामित्व अथवा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इसके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का आरक्षण कर सकती है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जो खनिज आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः विदोहन के लिए आरक्षित रखे गए हैं वे हैं—हीरा, तांबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, बाक्साइट, फोस्फोराइट, स्वर्ण, मैगनीज ओर, मारबल चूनापत्थर/शैल, पायरोलाइल ट, कोरूण्डम डायस्पोर टिन तथा कोयला।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय हित में विभिन्न खनिजों के विदोहन, उपयोग और विपणन कार्य में पहले से ही लगे हुए हैं जो खनिज आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। एम०एम०आर०डी० एक्ट, 1957 की धारा 17क की उपधारा (1 क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खनिज रियायतों के अन्तर्गत पहले से कवर न किए गए क्षेत्रों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी या निगम जैसा भी मामला हो के पक्ष में आरक्षित कर सकती है तथा इसके लिए प्रासंगिक अधिसूचना की वैधता अवधि के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

Revival of IISCO

3049. SHRI AKHILESH DAS:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be plesed to state:

(a) whether during recent Russian Prime Minister's visit to New Delhi, India has sought russia's consent in using funds from Rupee-Ruble account to revive the Indian Iron and Steel Company through a joint venture with the Russian company Tyazhpromexport; and

(b) if so, what precise proposal was mooted and what was the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) IISCO is a sick company and has been under reference to BIFR since June, 1994 for determination of measures in regard to the future of the company. SAIL have submitted a proposal, which inter alia includes writing off of accumulated losses, to revive IISCO in a Joint Venture (JV) partnership with M/s. Tyazhpromexport (TPE) of Russia. This proposal is dependent on the use of Rupee Debt Funds for which an inter Governmental Agreement between the Government of Russia and Government of India is required. The project envisage an investment of Rs. 2107 crores. Govt. of